

यु. रामेश्वर लाल हैं जो कि सही नाम हैं। आदि का दस्तावेज में प्रार्थी का नाम चन्द्रगीराम जो राजस्व की जाहद चन्द्रगीराम जाखर पु. रामेश्वर लाल दर्ज करना उचित है।

कार्यालय, तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

3/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1109
9-11-21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिता सुन्दरु (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 9-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निर्मांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	मझाक	2075-08	155	चन्द्रगीराम पु. रामेश्वर	चन्द्रगीराम जाखर पु. रामेश्वर लाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 877-878
लेपि :-

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 9-11-21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

